



तार: "महासर्वेक्षक"
Telegram: "SURVEYS"
फैक्स व दूरभाष: 0091-135-744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-744064
E-Mail/ई-मेल: sgo@nde.vsnl.net.in

सं०सी- १/१०/११८-ए
सेवा में,

For! - Shri Aniruddha Basu
WB-GDe

दिनांक: 11 मार्च, 2013

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र ।

निदेशक: उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/केरला एवं लक्षद्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

विषय: स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती।

निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को स्थापना एवं लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर पे बैंड-2 रु० 9300-34800+ग्रेड पे रूपये 4600 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Raj Kumar	Uttarakhand & West UP GDC, Dehra Dun.	National GDC, Dehra Dun.
2.	Smt.Prasanna Kumari Amma (PH)	Kerala & Lakshadweep GDC, Thiruvethapuram	Tamilnadu, Pondichary, A&N I-GDC, Chennai.

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 28-03-2013 तक अवश्य सूचित करें। उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें उनकी अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं०22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

4. उपरोक्त अधिकारी स्थापना एवं लेखा अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।

5. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।

6. यदि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दण्ड प्रक्रिया संबंधित मामला कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।

(चन्द्र पाल)

अपर महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

- निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/तमिलनाडु, पाण्डेचेरी अण्डमान एवं निकोबार द्विप समूह भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र।
- केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद।
- कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/जे०सी०एम०/कार्य अध्ययन एक्क अनुभाग(म०स०का०)।
- महासचिव, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन/फाइल संख्या 1354-ओ०एस०(एस०जी०ओ०)।